न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर(RAS)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
142/2021	23.03.2021	12.07.2022

अनुवान

1. हरमीत सिंह
2. अनूपसिंह पुत्रान गिरवरसिंह जातियान जाट निवासीयान नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

– वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र बिहारी
2. मातादीन
3. जीतराम पुत्रान छीतर
4. कमल पुत्र जलेसिंह
5. रतीराम पुत्र चिरंजीलाल
6. राजपाल
7. धर्मपाल पुत्रान हरिसिंह
8. धूंधा पत्नी हरिसिंह
9. सुबेसिंह
10. अमरसिंह पुत्रान छीतर
11. महेन्द्र पुत्र पतराम
12. हेमन्त
13. समुन्द्र
14. धर्मवीर पुत्रान रमेश
15. समेर
16. दुलीचन्द
17. नेतराम
18. ख्यालीराम
19. सुबेसिंह
20. अमरसिंह पुत्रान श्रीराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:45:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

21. सतपाल पुत्र राजेन्द्र
22. विनित पुत्र वीरसिंह जातियान जाट निवासीयान नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर ज़िला अलवर राज0
23. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

– असल प्रतिवादीगण

24. रामनिवास पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
25. विमला देवी पत्नी धारासिंह जाति जाट निवासी नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

– तर0 प्रतिवादीगण

दावा– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
बम्य हु0 ई0 दवामी

उपस्थितिः– श्री रणवीर सिंह यादव अधिवक्ता – वादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक :– 12.07.2022

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुयी। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0न0 348/0.58, 56/0.29, 64/0.33, 220/0.23, 323/0.38, 677/0.73 है0 वाके ग्राम नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित होकर वादीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है जो वादीगण को पूर्वजों से जरिये विरासत प्राप्त हुई है जिसपर पहले वादीगण के पूर्वज काबिल होकर कारूत करते रहे है और उनकी फौतगी पर अब वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं जिसमें कुछ खसरा नम्बरान् में तर0 प्रतिवादीगण सहखातेदार है जो हिस्से अनुसार काबिज है तथा तर0 प्रतिवादीगण व वादीगण के बीच मतभेद या कोई विवाद नहीं है। तर0 प्रतिवादीगण केतागण है जिनके हिस्से के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं है, वाद में रफा–ऐ–उ[illegible] फोरमल पक्षकार बनाया है। आराजी मुतनाजा वादीगण के सिंचाई साधनों से दूर होने [illegible] पूर्व में प्रतिवादीगण को सिंचाई सुविधा के कारण 4–5 साल तक के लिये बटाई पर दी गई थी। बाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:45:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

वादीगण के पूर्वजों में सिंचाई हेतु बोरिंग कर ली और अपनी उक्त विवादित आराजी को स्वयं काश्त करने लगे। वादीगण के पूर्वज व वादीगण आराजी पर कदीमी खुदकाश्त कर रहे है, प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आराजी मुतनाजा में प्रतिवादीगण कों शिकमी के रूप में इन्द्राज उनके द्वारा बंटाई पर कुछ समय काश्त करने के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में कर दिया जो खिलाफ मौका खिलाफ कानून है। बंटाईदार को आराजी मुतनाजा में कोई अधिकार हासिल नहीं हो सकते है। इसलिये वादीगण की आराजी पर से प्रतिवादीगण के नाम शिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश फरमावे आदि का निवेदन करते हुये वाद वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक इस अमर की फरमाई जावे कि हाल ख0नं0 348/0.58, 56/0.29, 64/0.33, 220/0.23, 323/0.38, 677/0.73 है0 वाके ग्राम नंगली ओझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर में वादीगण की आराजी पर से प्रतिवादीगण के नाम सिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किये जाने बाबत का निवेदन रहा।

प्रकरण दार्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 11 व 16 लगा0 20 की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये एवं जवाद दावा पेश नहीं करना चाहते का निवेदन करते हुये सहमति स्वरूप वकील प्रतिवादी श्री धर्मेन्द्र यादव ने आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये तथा प्रतिवादीगण सं0 12 लगा0 14 एवं 21, 22, 24, 25 बावलूद विधिवत सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पैरोकार सरकार को वास्ते जवाब पैरोकार दिनांक 13.09.2021 से लगातार बार–बार अवसर दिये जाने उपरान्त जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में पेश करने जवाब पैरोकार के बाबत का अवसर समाप्त किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत 2072–75 किता 3 प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2073 प्रदर्श–2, नकल निर्णय दिनांक 04.09.2018 राजस्व [illegible] पेश किये है तथा मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र हरमीत सिंह पीडब्ल्यू–1, रतीराम पीडब्ल्यू–2,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:45:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

गंगाराम पीडब्ल्यू–3 एवं धनसिंह पीडब्ल्यू–4 के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

: वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये असल प्रतिवादीगण सं01 लगा0 11, 15 लगा0 20 द्वारा बाद विधिवत सूचना जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर वकील प्रतिवादी द्वारा इनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते का निवेदन करना एवं सहमति स्वरूप निवेदन अंकित कर अपने हस्ताक्षर करना वादीगण के वाद की पुष्टि करते है एवं भूमिगत रूप से वादीगण के वाद को सही होना स्वीकार किया जाना साबित है अभिकथन करते हुये विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड पर प्रतिवादीगण असल के नाम का शिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

: वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरान्त प्रतिवादीगण असल द्वारा बाद विधिवत तलबी जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आना एवं वादीगण के वाद का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहते के आधार पर वादीगण के वाद की पुष्टि में भूमिगत तरीके से स्वीकार किया जाना पाते हुये एवं शेष असल प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी उपरान्त हाजिर अदालत नहीं आने की स्थिति में भी वकील वादीगण द्वारा दौराने बहस किये गये अभिकथनों को दृष्टिगत खते हुये वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

—:आदेश:—

: **अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने पर वाद वादीगण [illegible] पाये जाने की स्थिति में वादीगण के हाल आराजी ख0नं0 [illegible] 0.23, 323/0.38, 677/0.73 है0 वाके ग्राम [illegible] जिला अलवर राज0**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:45:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

:

के बाबत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त आराजी मुतनाजा के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 22 के पूर्वजों अथवा उनके नाम का शिकमी के रूप में हो रहे अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर, खुले न्यायालय सुनाया गया।

12-07-2022

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:45:06 IST
Reason: SelfAttested